"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 308] रायपुर, शनिवार, दिनांक 23 मई 2015— ज्येष्ठ 2, शक 1937

तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 मई 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 9-41/2013/जन.नि./42 (पार्ट). — छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 17 सन् 2013) की धारा 27 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 2 के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार (मुख्य कार्यपालन अधिकारी) नियम, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

नियम 2 के उप-नियम (2) में,-

(एक) खण्ड (ग) में, पूर्ण विराम चिन्ह "." के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये; और

(दो) खण्ड (ग) के नीचे, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात्:-

"परन्तु यह कि चयन समिति का कोई भी सदस्य अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित नहीं होने की दशा में, मुख्य सचिव-सह-अध्यक्ष, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित एक व्यक्ति को सदस्य के रूप में सहयोजित करेगा."

यह संशोधन राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

No. F 9-41/2013/MPP/42(Part) — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 27 read with clause (c) of Section 2 of the Chhattisgarh Right of Youth to Skill Development Act, 2013 (No. 17 of 2013), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Right of Youth to Skill Development (Chief Executive Officer) Rules, 2015, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

In sub-rule (2) of rule 2,-

(i) In clause (c), for the punctuation full stop ".", the punctuation colon ":" shall be substituted; and

(ii) Below clause (c), the following shall be inserted, namely :-

"Provided that in case none of the member of the selection committee belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, the Chief Secretary-cum-chairman shall co-opt a person from the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes as a member."

This amendment shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.